

राजस्थान सरकार  
आयुष विभाग राजस्थान, जयपुर

विज्ञापन क्रमांक:

दिनांक

यूनानी चिकित्साधिकारियों के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापित संख्या: 04 / 2023

राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम-1973 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत यूनानी चिकित्साधिकारियों के 249 पदों को सीधी भर्ती से भरने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पद स्थायी है तथा पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। आवेदन पत्र डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट <http://dsrrau.info> पर दिनांक 13.07.2023 प्रातः 10 बजे से ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

Name of Post यूनानी चिकित्सा अधिकारी	No. of Post (s)	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				B.C.				M.B.C.				E.W.S.				Horizontal Reservation	
		सामान्य	महिला	विधवा	परिव्रता	सामान्य	महिला	विधवा	परिव्रता	सामान्य	महिला	विधवा	परिव्रता	सामान्य	महिला	विधवा	परिव्रता	सामान्य	महिला	विधवा	परिव्रता	सामान्य	महिला	विधवा	परिव्रता	(a) OA, OL, BL, LC, Dw, AAV	(b) SLD (c) MD involving (a) to (b) above
249	60	17	07	01	34	10	04	00	29	09	03	00	31	09	04	0	07	02	01	00	15	05	01	0	05	05	
भूतपूर्व सैनिक		04				02				02				02				0				01				05	05

Abbreviations Used : Gen.- General, UR- Unreserved, S.C.- Scheduled Castes, S.T.- Scheduled Tribes, B.C.- Backwd Classes, M.B.C.- More Backward Classes, E.W.S.- Economically Weaker Sections, OA-One Arm, OL-One Leg, BL-Both Leg, LC-Leprosy Cured, Dw-Dwarfism, AAV-Acid Attack Victims, SLD-Specific Learning Disability, MD-Multiple Disabilities.  
नोट- उपरोक्त पदों को नियमानुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। उक्त पदों में एससी 18 व एसटी 18 पद बैकलोग के सम्मिलित किये गये हैं।

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्तर्वती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्तर्वती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्तर्वती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- विशेष योग्यजन/निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेगी।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/बीसी/एमबीसी/ई.डब्ल्यू.एस./भूतपूर्व सैनिक/ वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- विज्ञापित उक्त पदों के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान के नोटिफिकेशन दिनांक 23.01.2019 राजस्थान विशेष योग्यजन का (समान अवसर, अधिकारों को संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2018 के नियमों के नियम 5 के अनुसार अधीनियम की धारा 34 में वर्णित विशेष योग्यजन की श्रेणियों को (Persons With Disabilities) को 4 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज रूप से देय होगा। किन्तु उक्त पद हेतु विशेष योग्यजन की 4 श्रेणियों में से 2 श्रेणियों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। जिनको नियम 5 (2)(c) के अनुसार दोनो श्रेणी हेतु आरक्षित कुल पदों में से प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों को यथा सम्भव बराबर पदों पर आरक्षण दिया जायेगा।

पात्र विशेष योग्यजन श्रेणी

(a) OA, OL, BL, LC, Dw, AAV (b) SLD (c) MD involving (a) to (b) above

<b>शैक्षणिक योग्यताएं :-</b>	
1. A Bachelor degree in Unani from a University established by law in India or equivalent and recognized under Rajasthan Unani Medicine Act, 1969 (Act 1 of 1970)	
<b>नोट:-</b> आवेदक का राजस्थान इण्डियन मेडिसिन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है तथा विस्तृत आवेदन पत्र/दस्तावेज सत्यापन के समय पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।	
<b>शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान</b>	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक अर्जित योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदन करने की अन्तिम दिनांक 27.07.2023 तक शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। अभ्यर्थी को आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक इन्टरशिप ट्रेनिंग भी पूर्ण कर लेनी आवश्यक है।
<b>पे मैट्रिक्स</b>	पे मैट्रिक्स लेवल L -14 <b>नोट :-</b> राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।
<b>आयु सीमा</b>	दिनांक 01.01.2024 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष से कम। किन्तु कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(2) डीओपी/ए-1/84 पार्ट दिनांक 12.06.2023 के अनुसार जो व्यक्ति 31.12.2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31.12.2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जायेगा।

<b>विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान</b>		
<b>क्र.सं.</b>	<b>अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ</b>	<b>अधिकतम आयु में देय छूट</b>
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Most Backward Classes of Rajasthan State and EWS	5 वर्ष Five Years
2.	सामान्य वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
3.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Most Backward Classes of Rajasthan State and EWS	10 वर्ष Ten Years
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला Widow and divorcee Women <b>Explanation :-</b> In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
5.	रिजर्विस्ट अर्थात् प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में सीनान्तरण कर दिया गया हो, के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। The upper age limit shall be 50 years in the case of reservists, namely the Defence Service personnel who were transferred to the Reserve.	
6.	उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो अपनी दो सिसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्त का पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for an appointment under these Rules.	
7.	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्त के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा छूट में होगी। In the case of other ex-prisoners, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served by him provided he was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
8.	इस सेवा(राजस्थान आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक एवं भारतीय चिकित्सा सेवा नियम 1973) के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे वे डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के समक्ष आखरी उपस्थिति के समय उसे पार कर सकें हों। और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें अक्सर दिये जायेंगे। A person appointed temporarily to the post in the service (The Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homeopathy and Naturopathy Service Rules 1973) shall be deemed to be within the age limit had when he was initially appointed even though he has crossed the age limit when he appears finally before the Dr.Sarvapalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurveda University Jodhpur and shall be allowed upto two chances had he been eligible as such at the time of his initial appointment.	
9.	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में, उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि को शिथिल किया जायेगा यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। That the upper age limit mentioned above, shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the National Cadet Corps in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, such candidates shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
10.	निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। That the Released Emergency Commissioned Officers & Short Service Commissioned Officers after release from Army shall be deemed to be within the age-limit even though they have crossed the age-limit when they appear before University had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	
11.	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिये ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.	
12.	जो व्यक्ति राज्य सरकार, एन.आर.एच.एम. मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष के तहत यूनानी चिकित्साधिकारियों के पद पर लगातार काम कर रहा है, को की गई सेवा के बराबर अवधि में उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी जोकि अधिकतम पांच वर्ष की होगी। The upper age limit mentioned above, for the person who is continuously working as Unani Chikitsadhikari in Government, Chief Minister BPL Jeevan Raksha Kosh, National Rural Health Mission shall be relaxed by the period equal to the service rendered by him subject to maximum of five years.	
13.	यूनानी में स्नातकोत्तर उपाधि रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जायेगी।	

	The upper age limit shall be relaxed by three years in the case of candidates holding post graduate Degree in Unani.
14.	(अ)- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार गत वर्षों में इन पदों पर भर्ती नहीं किये जाने के कारण अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष शिथिलता दिये जाने का प्रावधान है। As per DOP Notification No. F.7(6) DOP/A-II/2008 Dated. 23-09-08 "If a candidate would have been entitled in respect of his/her age for direct recruitment in any year in which no such recruitment was held, he/she shall be deemed to be eligible in the next following recruitment, if he/she is not overage by more than 3 years." उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत चूकी विभाग द्वारा वर्ष 2013 में भर्ती की गई है जिसमें आयु गणना तत्समय के आधार पर की गई है अतः अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के क्रम में नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की शिथिलता देय होगी।
15.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु यह कि शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988, relaxation in upper age limit shall be five years to Ex-servicemen. Provided that if permissible age after relaxation works out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years will be applicable. स्पष्टीकरण :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।

### नोट -

- (1) उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर आयुसीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- (2) विशेष योग्यजन को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार देय छूट के पश्चात् अतिरिक्त छूट देय होगी।
- (3) कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC/EWS) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
- (4) राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (5) आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

### अन्य विवरण

चयन का आधार	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम-1973 (यथा संशोधित) के नियम 19 तदन्तर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक प.10(11) आयु./2012-13 पार्ट II दिनांक 28.05.2013 में वर्णित प्रावधानों के तहत वरीयता सूची तैयार की जायेगी। 1. जिसके अनुसार राज्य सरकार, एन.आर.एच.एम. मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष के तहत यूनानी चिकित्साधिकारियों के पद के समान प्रकृति (Similer work) के कार्य अनुभव की अवधि के आधार पर अधिकतम 30 प्रतिशत वेटेज बोनस अंकों के दिये जायेंगे। प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 10 प्रतिशत बोनस अंक एवं अधिक अवधि के कार्यानुभव के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत अंक बोनस दिये जायेंगे (365 दिवस पूर्ण होने पर ही एक वर्ष माना जायेगा। अन्य अभ्यर्थी जिनका सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष के तहत कार्यानुभव नहीं है को कोई बोनस अंक देय नहीं है। 2. 70 प्रतिशत वेटेज अभ्यर्थी द्वारा उक्त नियमों के संलग्न अनुसूची में वर्णित अर्हक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दिया जायेगा। 3. विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अनुभव की गणना आवेदन की अंतिम दिनांक तक की जायेगी। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।
-------------	---

आवेदन अवधि	दिनांक 13.07.2023 से दिनांक 27.07.2023 रात्रि 12-00 बजे तक
------------	--

आवेदन प्रक्रिया	विज्ञापन प्रकाशन के साथ ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया का User Manual विभागीय वेबसाइट <a href="http://dsrrau.info">http://dsrrau.info</a> पर प्रकाशित कर दिया जायेगा जिसके निर्देशानुसार पात्र अभ्यर्थी अपना आवेदन भर सकेगा।
-----------------	---

1. **ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :-** आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में Generic data को छोड़कर संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अंतिम दिनांक के पश्चात् 03 दिवस अर्थात् 01.08.2023 तक ऑनलाइन संशोधन कर सकेगा। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। परन्तु, विधवा/परित्यक्ता/विकलांग वर्ग के वे अभ्यर्थी जो उक्त कटेगरी जोड़ना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन के समय तक ऑफ लाइन कुलसचिव, डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर को आवेदन करके वर्ग परिवर्तन स्वीकार्य होगा।
2. डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त ऑफलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

### पंजीयन शुल्क:-

कार्मिक विभाग (क-2) के परिपत्र प.8(3)कार्मिक/क-2/2023-04443 जयपुर, दिनांक 19.04.2023 के अनुसार एकबारीय पंजीयन प्रणाली लागू की गई है इसके लिये अभ्यर्थी को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद One Time Registration ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा कराना होगा:-	
1. सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थी	रु 600/-
2. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी	रु 400/-
3. दिव्यांगजन	रु 400/-

### अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

- (1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह दस्तावेज सत्यापन इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (2) आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
- (3) अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अंतिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (4) आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्रोत से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), योग्यता इत्यादि संबंधी त्रुटियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् ही उन्हें सुधारते हुए ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका

प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लेवें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन-पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लेवें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा।

- (5) यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित वर्ग के विज्ञापित पदों का लाभ देय नहीं होगा तथा उसे अनारक्षित श्रेणी में मानते हुए कार्यवाही की जावेगी और अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी का निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (6) डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता इत्यादि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- (7) आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों की विश्वविद्यालय द्वारा पात्रता की जाँच दस्तावेज सत्यापन के समय की जायेगी। सत्यापन के समय आवेदक को विस्तृत आवेदन-पत्र दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा। डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता व अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो पात्रता रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- (8) माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा। इसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पश्चात्/दस्तावेज सत्यापन के पूर्व जो आवेदक/आवेदिका विकलांग/विधवा/परित्यक्ता हुआ/हुई है, उन्हें विकलांग/विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ लेने हेतु उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपना वर्ग अनिवार्य रूप से परिवर्तन करवाना होगा अन्यथा उसे विकलांग/विधवा/परित्यक्ता श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। यदि परित्यक्ता/तलाकशुदा आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। साथ ही विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (9) आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
- (10) आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।

#### **प्रमाण-पत्रों का सत्यापन:-**

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे:-

1. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा।
2. जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।
3. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक हैं।
4. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
5. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Asset Certificate प्रस्तुत करना होगा।
9. शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता तथा शेष सभी जैसे- श्रेणी/वर्ग/जाति (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), अन्यादि के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र की अन्तिम दिनांक (जो भी विज्ञापन में उल्लेखित हो) तक अर्जित होना आवश्यक है विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र तथा परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री दस्तावेज सत्यापन होने की दिनांक तक होना आवश्यक है। अनुभव अवधि की गणना इन पदों की इस भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक की जावेगी।
10. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान - कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिये आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के

अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहाँ किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से की वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-वार ब्यौरे के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तक/संविदा/अस्थायी/ तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। "कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएँ (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है"।

11. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
12. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्तान पैदा होते हैं, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा। विधवा एवं परित्यक्ता पर यह नियम लागू नहीं होगा।
13. विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी डिक्की/दस्तावेज एवं ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम अच्छा का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
15. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
16. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
17. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा/जैसे केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों (एन.आर.एच.एम आदि) में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

#### विशेष नोट:-

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अनुसंधान द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन-पत्र डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

**सूचना :-** समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट <http://dsrrau.info> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं. 0291-2795356** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव, डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, नागौर रोड, करवड, जोधपुर-342037 को सम्बोधित किया जाए।

**शासन उप सचिव  
आयुष विभाग राजस्थान  
जयपुर**

कार्यालय.....

क्रमांक:-

दिनांक

**अनुभव प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी.....पुत्र / पत्नि / पुत्री श्री.....निवास.....की नियुक्ति.....के आदेश क्रमांक.....दिनांक.....के द्वारा.....के पद पर संविदा/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई आधार पर.....योजना में की गयी थी, जो इस पद पर दिनांक.....से दिनांक..... तक कार्यरत है /रहा है/रही है। इनकी उक्त पद पर कुल कार्य अवधि..... वर्ष .....माह..... हैं।

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

कार्यालय स्टाम्प.....

1. निदेशक यूनानी चिकित्सा विभाग/प्राचार्य मेडिकल/डेंटल कॉलेज/अधीक्षक संलग्न चिकित्सा समूह/पीएमओ /सीएमएचओ/उपनिदेशक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला निदेशक एनएचएम निदेशक आर. आरसी. का सक्षम अधिकारी को उनके अधीन कार्य करने के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी माना जावेगा। यदि विभाग द्वारा किसी अन्य अधिकारी को भी सक्षम अधिकारी घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।

2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने के सत्यापन के पश्चात ही बोनस अंक/आयु में शिथिलता नियमानुसार दी जावेगी एवं विभाग द्वारा चाहे जाने पर मूल अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

नोट:- अनुभव अवधि की गणना इन पदों की इस भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक की जावेगी।